'भारत में लैंगिक समानता एवं सतत विकास लक्ष्य'

1. डॉ. प्रीति कंसारा
सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र,

2. डॉ. अनिता दीक्षित
सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र,
शा. दू.ब. महिला महाविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़

शोध सारांश –

लैंगिक समानता का अर्थ समाज में महिला तथा पुरूष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीसी) में से 'लैंगिक समानता' 5वां लक्ष्य है। भारत का संविधान भी अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत लैंगिक समानता के सिद्धांत को मान्यता देता है।

भारत का लैंगिक अंतर कई विकासशील देशों के पीछे है। भारत में लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं। परंपरागत रूप से भारत में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहो पर शोषण, अपमान और भेद–भाव से पीड़ित होती हैं। विश्व आर्थिक मंत्र (2019 रिपोर्ट)में कहा गया है कि दुनिया पूर्ण लैंगिक समानता से 100 साल दूर है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में सें भारत में लैंगिक असमानता के कारणों का विश्लेषण किया गया है, तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत् विकास लक्ष्य के पाँचवे लक्ष्य के रूप में घोषित लैंगिक समानता लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत किया गया।

कुंजी शब्द :– *लैंगिक समानता, सतत विकास लक्ष्य।*

प्रस्तावना –

लैंगिक समानता का अर्थ समाज में महिला तथा पुरूष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की नींव है, जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। किसी भी समाज और राष्ट्र के लिये लैंगिक समानता आवश्यक है। यह न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थाई विश्व के लिए एक पूर्व शर्त है। भारत सहित विश्व स्तर पर कई देश 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किये गए सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सहमत हुए हैं, जिसमें विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों को समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य 'सबका साथ सबका विकास' की मूल भावना से प्रेरित है। वैश्विक गरीबी का उन्मूलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एक प्रमुख लक्ष्य है।

सतत् विकास लक्ष्य 2030 एजेंडे में 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य शामिल हैं। लक्ष्य 5 ''महिला–पुरूष समानता हासिल करने और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने' से जुड़ा एक लक्ष्य है, पूरे ही एजेंडे में महिला–पुरुष समानता को मुख्यधारा में लाया गया है। लैंगिक समानता के साथ सतत् विकास लक्ष्य–5 को अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में देखा जाता है।

लैंगिक समानता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य–5 में 9 लक्ष्य और 14 संकेतक हैं जिसक उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को समान अधिकार, कार्यस्थल पर भेदभाव या किसी और हिंसा सहित भेदभाव के बिना मुक्त रहने के अवसर प्रदान करना है, यह लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए है।

शोध का उद्देश्य :

1. भारत में लैंगिक असमानता का विश्लेषण करना।
2. लैंगिक समानता के लिए तर्कसंगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक समंको पर आधारित है। समंको का संकलन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित शोध आलेख, समाचार पत्र, पुस्तकों, सरकारी प्रतिवेदन, प्रकाशन एवं वेबसाइट क प्रयोग किया गया है। समंको के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, औसत एवं क्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है।

लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के सतत लक्ष्य को प्राप्त करना भारत को विकसित भविष्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक है। लैंगिक समानता सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी समाज आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो सकता है जब उसकी आधी आबादी को दरकिनार क दिया जाए। और यह सार्वभौमिक वास्तविकता है।

लैंगिक असमानता से तात्पर्य

लैंगिक असमानता क तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेद–भाव से पीड़ित होती हैं। विश्व आर्थिक मंच (2019 रिपोर्ट) में कहा गया है कि दुनिया पूर्ण लैंगिक समानता से 100 साल दूर है। अफसोस की बात है कि भारत क लैंगिक अंतर कई विकासशील देशों से पीछे है।

लैंगिक असमानता आज भी विश्व में व्याप्त है। यह श्रम की उत्पादकता और श्रम आवंटन की दक्षता को कम करती है, जिससे संसाधनों का असमान वितरण तेज हो जाता है। यह गरीबी के गैर–मौद्रिक पहलुओं, सुरक्षा, अवसर और सशक्तिकरण की कमी में भी योगदान देता है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जीवन की गुणवत्ता को कम करता है।

मैकेंजी की हाल में आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विश्व में पुरुषों को जिस पद पर जिस काम के लिए सौ रुपए मिलते हैं, महिलाओं को उसी पद पर उसी काम के लिए केवल 73 रुपए ही दिए जाते हैं। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वेतन 27 प्रतिशत कम होता है।

भारत में महिलाओं को विश्व के औसत से भी दो प्रतिशत कम वेतन मिलता है। यानी पुरुषों को सौ रूपए मिलते हैं तो महिलाओं को मात्र 71 रुपए। रिपोर्ट बताती है कि भारत के सबसे ज्यादा पढ़े–लिखे राज्य केरल में यह अंतर या भेदभाव सर्वाधिक है। सांख्यिकी विभाग के अनुसार केरल के गाँवों में पुरुषों का औसत पारिश्रमिक 842 रुपए रोज है। इसके मुकाबले महिलाओ मा पारिश्रमिक मात्र 434 रुपए रोज ही है।

भारत में लैंगिक असमानता के कारण –

पारिवारिक जिम्मेदारियाँ महिलाओं को अपने काम से रोकती हैं और कई बार तो काम ही छुड़वा देती हैं। जबकि पुरुष के पास महिलाओं की बजाय पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बहुत कम होती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।

भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिये उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है। राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2017–18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति (Labour Force) और कार्य सहभागिता (Work Participation) दर कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2017–18 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के विपरीत केवल कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दमन–दीव में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में सुधार हुआ है। महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यो को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।

शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालाँकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अगर मौजूदा रफ्तार से भी जारी रहा तब भी राष्ट्रीय राजनीति में लीडरशिप की भूमिका में महिलाओं को पुरुषों को समान प्रतिनिधित्व पाने के लिए अभी 40 साल और लगेंगे, साल 2015 में राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 22.4 फीसदी थी जबकि 2022 में यह बढ़कर 26.2 फीसदी तक ही पहुंच पाया, 2019 में विश्व में कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 39 फीसदी थी लेकिन साल 2020 में 45 फीसदी महिलाओं की नौकरी चली गई, 15 साल से अधिक उम्र की हर 4 में से 1 महिला को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अपने साथी से हिंसा का सामना करना पड़ता है। साल 2020 में यह संख्या 64.1 करोड़ थी। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं।

भारत में लैंगिक समानता एवं सतत विकास लक्ष्य –

नीति आयोग ने 2030 सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति की रिपोर्ट जारी की जिसका उद्देश्य देश, उसके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है।इसे सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन प्रदान करने और नेताओं और परिवर्तन निर्माताओं को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्य की दिशा में भारत और उसके राज्यों की प्रगति को मापना है।

सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में 5वां लक्ष्य लैंगिक समानता से संबंधित है, जिसमें नौ लक्ष्य और 14 संकेतक हैं–

1. हर जगह सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना।
2. महिलाओं और लड़कियों की हिंसा और शोषण को समाप्त करना।
3. बाल विवाह, समयपूर्व विवाह और जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना।
4. अवैतनिक देखभाल का मूल्य बढ़ाना और साझा घरेलू जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना।
5. नेतृत्व और निर्णय लेने में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. सार्वभौमिक प्रजनन अधिकारों और स्वास्थ्य तक पहुंच सुनिश्चित करना।
7. महिलाओं के लिए आर्थिक संसाधनों, संपत्ति के स्वामित्व और वित्तीय सेवाओं के समान अधिकार को बढ़ावा देना।
8. प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
9. लैंगिक समानता के लिए नीतियों को अपनाना, मजबूत करना और कानून लागू करना।

तालिका

सतत विकास लक्ष्य–5

लैंगिक समानता की दिशा में भारत की प्रगति

	संकेतक	लक्ष्य	प्राप्ति
1	सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक मंडल सहित प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं का अनुपात	250	190
2	परिचालन भूमि जोत लिंग के अनुसार (महिला संचालित परिचालन जोत का प्रतिशत)	50	13.96
3	वर्तमान में 15–19 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं का प्रतिशत जिनकी परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों की मांग पूरी हो चुकी है	100	72
4	महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर	0	62.4
5	वे महिलाएं जिन्होंने वर्ष के दौरान पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता/शारीरिक हिंसा का अनुभव किया हो	0	19.54
6	नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच प्राप्त महिला से पुरुष औसत वेतन/वेतन आय का अनुपात	1	0.74
7	राज्य विधान सभा में कुल सीटों पर निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत	50	8.46

8	जन्म के समय लिंगानुपात	950	899
9	महिला – पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का अनुपात (15–59 वर्ष)	1	0.33

Source – SDG, INDIA – INDEX, NITI AYOG.

तलिका से स्पष्ट है कि लैंगिक समानता सतत विकास लक्ष्य के विभिन्न संकेतको की दिशा में भारत को काफी प्रयास करने होंगे।

भारत में लैंगिक असमानता को समाप्त करने के प्रयास –

भारत के विकास संबंधी अनेक लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है। भारत में कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और शहरी दोनों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल हैं। इसके अलावा अधिक बजट आवंटनों से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
समर्थ समाज के लिए सतत विकास के तीन व्यापक आधार स्तंभों – लोग, धरती और समृद्धि – को ध्यान में रखना चाहिए । इसका व्यापक उद्देश्य 'कोई भी पीछे न छूटे' हो, 'किसी को पीछे नहीं छोड़ने' की प्रतिज्ञा के माध्यम से, देशों ने सबसे पीछे रहने वालों के लिए तेजी से प्रगति करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। सतत विकास लक्ष्य 5 का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को समान अधिकार, कार्यस्थल पर भेदभाव या किसी और हिंसा सहित भेदभाव के बिना मुक्त रहने के अवसर प्रदान करना है। यह लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए है।
समाज की मानसिकता में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दो पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाज़ी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।
राजनीतिक के क्षेत्र में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक – 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23% हो गई है तथा इसमें भारत विश्व में 69वें स्थान पर है।
'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं', 'वन स्टॉप सेंटर योजना', 'महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

सुझाव –

1. बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।
2. लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन करना।
3. लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा।
4. लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा देश के बजट में जेंडर बजटिंग ज़रिये महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये धन आवंटन करना होगा। जेंडर बजटिंग और समाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष –

उपरोक्त अध्ययन से हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सतत विकास लक्ष्य हासिल करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमें प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने, स्थानीय रूप से प्रासंगिक और जन – केंद्रित विकास नीतियाँ एवं मज़बूत भागीदारी बनाने की आवश्यकता है। सरकार को प्रभाव पर नज़र रखने और मूल्यांकन करने तथा सफल हस्तक्षेपों को बढ़ाने के लिये एक केंद्रित योजना की भी आवश्यकता है।

संदर्भ –

1. https://sdgindiaindex.niti.gov.in
2. भारतीय महिलाएं और समानता की आकांक्षा : नीति आयोग की रिपोर्ट।
3. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022.
4. Global Gender Gap Report, 2022: World Economic Forum, July 25, 2022.

TECHNIX INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING RESEARCH
TIJER
OPEN ACCESS JOURNAL